



दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/495

11/09/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) के लिए आसियान प्रस्ताव पर इनपुट के लिए अनुरोध - अध्याय 39**

यह उस पिछले परिपत्र का संदर्भ है जिसमें हमने भारत-आसियान संबंधों पर सुझाव आमंत्रित किए थे। अध्याय 39 के लिए उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर)। चूंकि हमें सदस्यों से कोई इनपुट नहीं मिला है, इसलिए हम वही पीएसआर प्रस्तावित करना चाहते हैं। **'सीटीएसएच + 25% मूल्य संवर्धन'** जो भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत लागू है।

हमने गैर-आसियान देशों द्वारा इस व्यापार समझौते के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए इस कड़े मूल्य संवर्धन मानदंड का प्रस्ताव रखा है। आसियान 10 देशों का एक व्यापार समूह है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको इस उत्पाद विशिष्ट नियम के संबंध में कोई चिंता हो तो कृपया हमें लिखें:

कृपया अपने इनपुट इस तिथि तक सबमिट करें **आज का अंत** को [nilotpal@plexconcil.org](mailto:nilotpal@plexconcil.org) ; [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org); [research@plexconcil.org](mailto:research@plexconcil.org) समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए।

आपके त्वरित उत्तर के लिये हम आपके आभारी हैं।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लेक्सकॉन्सिल

---

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/484

09/09/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) के लिए आसियान प्रस्ताव पर इनपुट के लिए अनुरोध - अध्याय 39।**

आपको सूचित किया जाता है कि **रसायन और पेट्रोरसायन विभाग** ने हमें डीओसी की समीक्षा संबंधी पहल के बारे में सूचित किया है। **भारत-आसियान उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर )** पर चर्चा की जाएगी, तथा अगले दौर की चर्चा शीघ्र ही निर्धारित होने की उम्मीद है।

इस समीक्षा के भाग के रूप में, आसियान ने प्रस्ताव दिया है सह-समान नियम के लिए **अध्याय 27-39 के अंतर्गत सभी टैरिफ लाइनें**, जिनमें शामिल हैं:

- सीटीएसएच (टैरिफ उप-शीर्षक में परिवर्तन) या 40% क्षेत्रीय मूल्य सामग्री, या
- रासायनिक प्रतिक्रिया,
- आइसोमर पृथक्करण, या
- जैव प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण

इस संदर्भ में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विचार साझा करें। **अध्याय-39 (प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं) के अंतर्गत टैरिफ लाइनों के लिए विशेष रूप से तत्काल इनपुट**, ताकि हम डीसीपीसी और डीओसी को एक सूचित प्रतिक्रिया संकलित और प्रस्तुत कर सकें।

## कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें:

1. अध्याय-39 के अंतर्गत आपके उत्पाद लाइनों के लिए प्रस्तावित सह-समान नियमों की व्यवहार्यता और निहितार्थ।
2. सुझाए गए नियमों का अनुपालन करने में आपको आने वाली कोई भी चुनौती।
3. यदि लागू हो तो कोई वैकल्पिक नियम जिसे आप प्रस्तावित करना चाहें।

कृपया अपने इनपुट इस तिथि तक सबमिट करें 11 सितंबर 2025 नीचे हस्ताक्षरकर्ता को [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) ; [research@plexconcil.org](mailto:research@plexconcil.org) समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए।

आपके त्वरित उत्तर के लिये हम आपके आभारी हैं।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लेक्सकॉन्सिल